राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

विप0/छात्रवृत्ति/2081/2000-- 842 दिनांक 16/6/2001

सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश ।

मा0 संचालक मण्डल की 92वीं बैठक दिनांक 19.4.2001 में कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति योजना में प्रदेश की 03 कृषि विश्वविद्यालयों क्रमशः

1. चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर ।
2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी ।
3. आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद ।

में स्थित महिला होम साइंस कालेज की छात्राओं को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव इस विशेष कथन के साथ अनुमोदित किया गया कि छात्रवृत्ति की सुविधा केवल कृषक परिवार की छात्राओं को मेरिट के आधार पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार देय होगी :-

कृषि विश्वविद्यालय में स्थित महिला होम साइंस कालेज की छात्राएं	छात्राओं की संख्या	प्रतिमाह छात्रवृत्ति की दर प्रतिछात्र
स्नातक	04	1000.00
स्नातकोत्तर	02	1000.00

परिषद पत्रांकः विपणन/1963/99-668 दिनांक 16.7.99 द्वारा निर्धारित व्यवस्था छात्रवृत्ति हेतु गठित कमेटी में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ सं0 उपनिदेशक (प्रशासन) अथवा मण्डी निदेशक द्वारा नामित किसी अधिकारी का उपस्थित होना अनिवार्य है । छात्रवृत्ति की योजना की स्वीकृति हेतु पूर्व में परिषद पत्रांकः विप0/बीमा/2514/2000-566 दिनांक 18.8.2000 से सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) को सक्षम अधिकारी माना गया है, सं0 उपनिदेशक (प्रशासन) की स्वीकृति के आधार पर परिषद मुख्यालय से धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं ।

13/06/01

(गंगादीन यादव)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकनः संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार। 842

प्रतिलिपिः अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0अध्यक्ष, मण्डी परिषद को सूचनार्थ ।
2. सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ ।
3. सम्बन्धित सचिव/सभापति कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी, ...।
5. उप कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय ।
6. मण्डलायुक्त ।
7. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद ।
8. मण्डी परिषद के समस्त अधिकारी गण ।
9. गार्ड फाईल हेतु ।

13/06/01

मण्डी निदेशक

दूरभाष: 0522-30[illegible]
फैक्स: 0522-301219

140

104

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद; उ0प्र0

किसान मण्डी भवन,विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ

पत्रांक: वी0मा0(2514)/2000-566 दिनांक 18-08-2000

समस्त सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0।

मा0 संचालक मण्डल की 90 वीं बैठक दिनॉक: 12.07.2000 में कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति की धनराशि एवं छात्रों की संख्या में वृद्धि हेतु प्रस्ताव पर निर्णयोपरान्त् मा0 संचालक मण्डल ने धनराशि एवं छात्रों की संख्या निम्नवत् स्वीकृत की गयी है:-

1. छात्रवृत्ति की वर्तमान धनराशि में वृद्धि करते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों को रू0 500.00 के स्थान पर रू0 1,000.00 प्रतिमाह तथा महाविद्यालय के छात्रों को रू0 400.00 के स्थान पर रू0 800.00 प्रतिमाह प्रति छात्र की धनराशि की गयी है।

2. 25% वृद्धि के पश्चात् छात्रों की संख्या निम्नवत् होगी:-

छात्र का स्तर	पूर्व निर्धारित संख्या	25% वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या
कृषि महा विद्यालय		
स्नातक	06	08
स्नातकोत्तर	02	03
कृषि विश्वविद्यालय		
स्नातक	16	20
स्नातकोत्तर	04	05

3. परिषद पत्रांक: विप0/1963/99-668 दिनॉक: 16.7.99 द्वारा निर्धारित व्यवस्था -छात्रवृत्ति हेतु गठित समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ सम्बन्धित सं0 उपनिदेशक (प्रशासन) व मण्डी निदेशक द्वारा नामित किसी अधिकारी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इस समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर निदेशक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त व्यवस्था में संशोधन किये जाने का निर्णय लेते हुए छात्रवृत्ति की योजना की स्वीकृति हेतु सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) को सक्षम अधिकारी माना गया है। सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) की स्वीकृति के आधार पर परिषद मुख्यालय से धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

मा० परिषद द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के क्रम में छात्रवृत्ति हेतु छात्रों का चयन सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) स्तर पर अन्तिम किया जाएगा तथा चयनित छात्रों की सूची, लिये गये निर्णय का कार्यवृत्त तथा देय धनराशि का विवरण परिषद मुख्यालय को प्रेषित किये जाने पर परिषद मुख्यालय द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाएगी। कृपया अन्य शर्तें पूर्ववत् रखते हुए अपने क्षेत्र में स्थित कृषि विश्व विद्यालय तथा महा विद्यालय में इस योजना का क्रियान्वयन उपरोक्तानुसार सुनिश्चित कराए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से कराए।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

(गंगादीन यादव)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन: संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, मण्डी परिषद, को सूचनार्थ।
2. सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित सचिव/सभापति कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ, उ०प्र०।
4. जिलाधिकारी, ...
5. मण्डलायुक्त ....
6. उप कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय .....
7. प्राचार्य, कृषि महा विद्यालय ....
8. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद।
9. मण्डी परिषद, के समस्त अधिकारी गण।
10. गार्ड फाईल हेतु।

मण्डी निदेशक

दूरभाष : 301804, 301953, 301418, 303857, 394872

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक -विप0/1063/99- 668 दिनांक 16.7.99

कुलपति,
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर(नैनीताल)।
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

प्रदेश के समस्त कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण से जुड़े छात्रों को मण्डी परिषद द्वारा वर्ष 1999-2000 से छात्रवृत्ति राशि व छात्रवृत्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार अब प्रति छात्र को रू0 500.00(पांच सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। एक बार छात्रवृत्ति हेतु चयन होने की दशा में छात्र को पूरे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक छात्रवृत्ति देय होगी। छात्रवृत्ति देयता के संबंध में छात्रवृत्ति योजना की शर्तें एवं नियम निम्नवत् हैः-

1(अ)- प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की संख्या पाठ्यक्रमवार निम्नवत् हैः-

स्नातक स्तर पाठ्यक्रम	16
स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम	04

20

उपरोक्त छात्रवृत्तियां कृषि विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के लिए अनुमन्य होंगी।

(ब) शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद में छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अनुमन्य होंगी।

2- लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र व पुत्रियां तथा उन पर पूर्णरूप से आश्रित ही छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे।

3- छात्रवृत्ति की सुविधा उन्हीं मण्डी क्षेत्रों के कृषकों हेतु अनुमन्य होगी जहां विनियमन लागू हुआ हो अर्थात धारा-9 व 10 मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत जारी हुआ हो।

4- छात्रवृत्ति का आधार मेरिट होगा। स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं हेतु इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक का मानक होगा जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्नातक स्तर के प्राप्तांक या ओ0जी0पी0ए0 होगा।

5- छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा को उ0प्र0 का निवासी होना अनिवार्य है।

6- एक बार छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर छात्रवृत्ति की देयता सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के पूर्ण करने हेतु होगी, बशर्ते छात्रवृत्ति योजना मण्डी परिषद द्वारा उस समय तक लागू रहती हो।

7- छात्र द्वारा यदि कोई अन्य छात्र वृत्ति विश्वविद्यालय या अन्य स्रोत से प्राप्त हो रही है तो ऐसी दशा में मण्डी परिषद द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति में से एक विकल्प चुनकर अन्य छात्रवृत्तियां वापस करनी होंगी।

8- छात्रवृत्ति की पात्रता निर्धारण हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को समान मान (Weightage) दिया जायेगा।

---------2/-

09- किसी भी चयनित छात्र के अनुवर्ती परीक्षा में असफल होने या निर्धारित ओ0जी0पी0ए0 कम प्राप्त करने की दशा में छात्रवृत्ति की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

10- निरन्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र-छात्रा को शिक्षण परिवीक्षिका में नहीं होना चाहिए। शिक्षण परिविक्षिका होने के स्थिति में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।

छात्र/छात्रा को सम्पूर्ण शिक्षण अवधि में अच्छा अनुशासन व आचरण रखना अनिवार्य होगा। यदि छात्र आरक्षण परिविक्षिका में रखा जाता है तो छात्रवृत्ति उक्त अवधि के लिए Withdraw कर ली जायेगी तथा आरक्षण परिविक्षिका समाप्ति के बाद पुनः छात्रवृत्ति दी जायेगी।

11- यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि छात्र/छात्रा ने कोई सूचना छिपाई है अथवा छिपवाई है तो बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।

12- छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का चयन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। पात्र छात्र सूची अनुमोदन हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ संबंधित सम्भागीय उपनिदेशक{प्रशासन} अथवा मण्डी निदेशक द्वारा नामित किसी अधिकारी का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

{अनूप पाण्डेय}
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकनः उपरोक्तानुसार तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- वित्त नियंत्रक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,मुख्यालय,लखनऊ।

2- समस्त सम्भागीय उपनिदेशक{प्रशासन}, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।

4- समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तर प्रदेश को व्यापक प्रचार हेतु।

मण्डी निदेशक

दूरभाष : 301354, 301953, 303418, 303857, 394872

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक–विप0/1962/99– 66 दिनांक 16.7.99

प्रधानाचार्य,

____

____

प्रदेश के समस्त कृषि महाविद्यालयों में कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण से जुड़े छात्रों को मण्डी परिषद द्वारा वर्ष 1999–2000 से छात्रवृत्ति राशि व छात्रवृत्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार अब प्रति छात्र को रु0 400.00(रु0 चार सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। एक बार छात्रवृत्ति हेतु चयन होने की दशा में छात्र को पूरे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक छात्रवृत्ति देय होगी। छात्रवृत्ति देयता के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति योजना की शर्तें व नियम निम्नानुसार हैः–

1– प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रवृत्ति की संख्या पाठ्यक्रमवार निम्नवत् हैः–

स्नातक स्तर पाठ्यक्रम	06
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	02

उपरोक्त छात्रवृत्ति केवल कृषि संकाय के लिये अनुमन्य होगी। स्नातकोत्तर कक्षाओं के न होने पर सभी अर्थात 08 छात्रवृत्ति स्नातक पाठ्यक्रम हेतु होंगी।

2– लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र एवं पुत्रियों तथा उन पर पूर्ण आश्रितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

3– बिन्दु–02 में उल्लिखित श्रेणी के अन्तर्गत उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में न मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों के छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनकी कुल वार्षिक आय रु0–50,000/ से अधिक नही है। छात्र को अपने परिवार की आय के संबंध में आय प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

4– छात्रवृत्ति की सुविधा उन्हीं मण्डी क्षेत्रों के कृषकों हेतु अनुमन्य होगी। जहां विनियमन लागू हुआ हो। अर्थात धारा–9 एवं 10 मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत जारी हुआ हो।

5– छात्रवृत्ति का आधार मेरिट होगा। स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं हेतु इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक /ओ0जी0पी0ए0 होगा।

6– छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा को उ0प्र0 का निवासी होना अनिवार्य है।

7– एक बार छात्रवृत्ति स्वीकृत करने पर छात्रवृत्ति की देयता संपूर्ण पाठ्यक्रम के पूर्ण करने हेतु होगी बैशर्ते छात्रवृत्ति योजना मण्डी परिषद द्वारा उस समय तक लागू रहती हो।

8– छात्र द्वारा यदि कोई अन्य छात्रवृत्तियां विश्वविद्यालय या अन्य स्रोत से प्राप्त हो रही है तो ऐसी दशा में मण्डी परिषद द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति में से एक विकल्प चुनकर अन्य छात्रवृत्तियां वापस करनी होगी।

9– छात्रवृत्तियों की पात्रता निर्धारण हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को समान-भार(Weightage) दिया जायेगा।

क्रमशः----2/–

10- किसी भी स्वीकृत छात्र/छात्रा के समुवर्ती परीक्षा में असफल होने या निर्धारित ओ०जी०पी०ए० का प्राप्त करने की दशा में छात्रवृत्ति की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

11- निरन्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को शिक्षण परिविक्षिका में नहीं होना चाहिए। शिक्षण परिविक्षिका होने की स्थिति में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।

छात्र/छात्रा को सम्पूर्ण शिक्षण अवधि में अच्छा अनुशासन व आचरण रखना अनिवार्य होगा। यदि छात्र आचरण परिविक्षिका में रखा जाता है तो छात्रवृत्ति उक्त अवधि के लिए (withdrawn) कर दी जायेगी तथा आचरण परिविक्षिका की समाप्ति के बाद पुनः छात्रवृत्ति दी जायेगी।

12- यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि छात्र/छात्रा ने कोई सूचना छिपाई है अथवा छिपवायी है तो बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।

13- चयन समिति में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कृषि विभाग के अध्यक्ष तथा सम्भागीय उपनिदेशक(प्रशासन), मण्डी परिषद सदस्य होंगे, जो सूची को अन्तिम रूप देकर परिषद मुख्यालय को भेजेंगे।

संलग्नक : महाविद्यालयों की सूची

(अनूप पाण्डेय)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन: उपरोक्तानुसार।

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त नियंत्रक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।

2- समस्त सम्भागीय उपनिदेशक(प्रशासन), मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।

4- समस्त मण्डी सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तर प्रदेश को व्यापक प्रचार हेतु।

मण्डी निदेशक

महाविद्यालयों की सूची

महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम जिससे वह सम्बद्ध है
1- यू0पी0कालेज, वाराणसी ।	पूर्वान्चल विश्वविद्यालय ।
2- तिलक धारी महाविद्यालय, जौनपुर	पूर्वान्चल विश्वविद्यालय ।
3- पी0जी0कालेज, गाजीपुर ।	पूर्वान्चल विश्वविद्यालय ।
4- श्री दुर्गा जी डिग्री कालेज, चंडेसर, (आजमगढ़)	पूर्वान्चल विश्वविद्यालय ।
5- गोविन्द डिग्री कालेज, [illegible] (वाराणसी)	पूर्वान्चल विश्वविद्यालय ।
6- एम0एम0एम0टी0डी0 कालेज, बलिया ।	पूर्वान्चल विश्वविद्यालय ।
7- बी0आर0डी0कालेज, देवरिया ।	गोरखपुर विश्वविद्यालय ।
8- एन0डी0कालेज, बरहालगंज (गोरखपुर)	गोरखपुर विश्वविद्यालय ।
9- जनता कालेज बकेवर (इटावा)	कानपुर विश्वविद्यालय ।
10- जनता कालेज, अजीतमल (इटावा)	कानपुर विश्वविद्यालय ।
11- कुलभास्कर आश्रम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, (इलाहाबाद)	कानपुर विश्वविद्यालय ।
12- इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट-नैनी	इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।
13- [illegible] ब्रह्मानन्द कालेज, राठ (हमीरपुर)	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय ।
14- नारायण कालेज शिकोहाबाद (मैनपुरी)	आगरा विश्वविद्यालय ।
15- राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय, आगरा	आगरा विश्वविद्यालय ।
16- आर0एस0एम0 डिग्री कालेज, धामपुर (बिजनौर)	रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय ।
17- [illegible] कालेज, गुलावठी	मेरठ विश्वविद्यालय ।
18- [illegible] महाविद्यालय, रामपुर (मनिहारन)	मेरठ विश्वविद्यालय ।
19- चौधरी छोटूराम डिग्री कालेज-(मुजफ्फरनगर)	मेरठ विश्वविद्यालय ।
20- आर0एम0पी0 कालेज, [illegible] (सहारनपुर)	मेरठ विश्वविद्यालय ।
21- किसान डिग्री कालेज, [illegible] (मुजफ्फरनगर)	मेरठ विश्वविद्यालय ।
22- कृषि महाविद्यालय माछरा (मेरठ)	मेरठ विश्वविद्यालय ।
23- जे0वी0कालेज, बड़ौत (मेरठ)	मेरठ विश्वविद्यालय ।